

क्रमांक :- प0 सूप्रौ. 185/2017/250

दिनांक : 22.03.17

- बिड सूचना -

करौली जिले में ग्रामीण कियोस्कों पर को - ब्राण्डेड बैनर प्रिन्ट करवाकर लगवाये जाने हेतु संबंधित रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से मोहरबन्द बिड आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	सामग्री एवं मात्रा का विवरण	ग्रामीण कियोस्कों की संभावित संख्या	कार्य की अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	बिड शुल्क	बिड जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	बिड खोलने की तिथि व समय
1	ग्रामीण कियोस्कों पर को-ब्राण्डेड बैनर प्रिन्ट कर लगाने का कार्य	830	9,00,000/-	18,000/-	200/-	06.04.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक	06.04.2017 को सायं 3.00 बजे

बिड से संबंधित शर्तें एवं अन्य जानकारी बिड प्रपत्र के साथ संलग्न है। एवं इनकी जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सम्पूर्ण बिड या उसके किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी। बिड सूचना एवं शर्तें बेवसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://karauli.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकती है एवं बिड प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।



एसीपी(उपनिदेशक) एवं सचिव,
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी,
करौली

क्रमांक : सम/ 250

दिनांक: 22.03.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, करौली।
2. श्रीमान निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमि0, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज0 जयपुर को 8 प्रति में प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बिड सूचना को एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं पचास हजार और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में अतिशीघ्र प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
4. प्रभारी अधिकारी (ई-मित्र परियोजना), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
5. समस्त सदस्य क्रय समिति को निर्धारित दिनांकों को मीटिंग में उपस्थित होने हेतु।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, करौली।
7. श्री परसराम मीना, सूचना सहायक को देकर लेख है कि उक्त सूचना के शीघ्र प्रकाशन हेतु सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में जाकर कार्यवाही करावे।
8. समस्त ब्लॉक प्रभारी, ब्लॉक कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, करौली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावे।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला कलेक्टर/कार्यालय हाजा/कोष कार्यालय/प्रोग्रामर समस्त ब्लॉक स्तरीय कार्यालय।



एसीपी(उपनिदेशक) एवं सचिव,
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी,
करौली

निविद सूचना संख्या ई-गवर्नेंस/बिड/2017/250

दिनांक 22-03-2017

-: बिड प्रपत्र :-

1. कार्य का नाम :- **ग्रामीण कियोस्कों पर को ब्राण्डेड बैनर प्रिन्ट कर लगाने का कार्य ।**
2. किसको सम्बोधित किया गया :- एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, करौली
3. बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि:- दिनांक 06.04.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक
4. प्री-बिड मीटिंग की तिथि:- दिनांक 30.03.2017 को दोपहर 3.00 बजे
5. बिड खोलने की तिथि:- दिनांक 06.04.2017 को दोपहर 3.00 बजे
6. ग्रामीण कियोस्कों की संभावित संख्या:- 830
7. कार्य की अनुमानित लागत:- 9 लाख रुपये
8. बोली प्रतिभूति राशि:- 18,000 रुपये मात्र
9. बिड शुल्क:- 200 रुपये मात्र
10. हम एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, करौली द्वारा जारी की गयी बिड सूचना संख्या प0 सूप्रौ./बिड/2017/250 दिनांक 22.03.2017 में वर्णित एवं बिड प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये हैं।
11. **टिप्पणी** : बिडदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बिड भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

उक्त आइटम्स की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन हेतु शर्तें एवं न्यूनतम स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार है-

1. बिडदाताओं को बिड सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिड उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर देनी होगी। लिफाफे के उपर **ग्रामीण कियोस्कों पर को ब्राण्डेड बैनर प्रिन्ट कर लगाने के कार्य हेतु बिड** अंकित करना होगा।
2. इस कार्यालय द्वारा जारी बिड प्रपत्र में बिडदाता द्वारा अंकित दरें ही मान्य होंगी। दरें स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों दोनों में प्रस्तुत करनी होंगी। कटिंग/ओवर राईटिंग होने पर प्रत्येक कटिंग/ओवर राईटिंग को बिडदाता द्वारा लघु हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावेगा तथा नई शुद्ध दरें अंकित करनी होंगी।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म का संबंधित आइटम के विक्रय/आपूर्ति के लिये वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। बिड प्रपत्र में टिन नं एवं पेन नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
4. इन शर्तों के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की एवं आरटीपीपी नियमों, अधिनियम की एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी नियमों की पालना करना आवश्यक होगा एवं ये नियम दोनों पक्षों को मान्य होंगे।
5. सशर्त बिड मान्य नहीं होगी।
6. बिड सूचना एवं शर्तें वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं <http://karauli.rajasthan.gov.in> पर भी देखी जा सकती हैं एवं बिड प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है तथा बिड शुल्क का बैंक डीडी बिड के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

7. बिड शुल्क की राशि एवं बोली प्रतिभूति की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में स्वीकार की जाएगी, जो कि "जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी करौली " के नाम देय होगी।
8. क्रय हेतु अनुमोदित फर्म को सामग्री की आपूर्ति एवं इनको ऑन साइट लगाने का कार्य कार्यादेश दिये जाने के 15 दिवस में पूर्ण करना आवश्यक होगा। अन्यथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं आरटीपीपी नियमों के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार भुगतान में से वसूली राशि की कटौती की जावेगी।
9. प्रत्येक बैनर पर अलग अलग कियोस्क का नाम व पता आदि प्रिन्ट करना होगा जिसकी सूचना (मैटर) इस कार्यालय से उपलब्ध करवा दी जायेगी।
10. प्रिन्टिंग हेतु उपलब्ध कराई गई विषय वस्तु की प्रूफ रिडिंग फर्म द्वारा कुशल व्यक्ति से करवाई जावेगी तथा किसी भी त्रुटि के लिये फर्म उत्तरदायी होगी। प्रिन्टिंग में त्रुटि होने पर स्वयं के खर्च पर नया बैनर प्रिन्ट कर लगाना होगा।
11. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार करनी होगी। प्रिन्टिंग कार्य एवं फ्लेक्स पेपर अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन निम्न प्रकार होगा:-
- प्रत्येक बैनर की साइज 6 फीट चौड़ाई X 3 फीट ऊँचाई होगी। स्टार मीडिया फ्लेक्स प्रिन्टिंग कार्य मल्टीकलर, मय एक इंच चौड़ाई व मोटाई के आयरन पाइप के फ्रेम (बीच में एक वर्टिकल सपोर्ट आवश्यक) एवं आन साइट पहुँचाने, पेस्ट करने व लगाने(Printing and fixing) तक सम्पूर्ण कार्य इन्स्टॉलेशन से संबंधित अन्य कोई भी सामग्री जिसकी आवश्यकता होगी बिडदाता को अपने स्तर पर लगानी होगी।
12. प्रस्तुत दरों में समस्त प्रकार के कर (वैट एवं अन्य) एवं अन्य समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होंगे तथा सामग्री को ऑन साइट ग्रामीण कियोस्क तक (एफओआर) पहुँचाना होगा एवं स्वयं इन्स्टॉलेशन करना होगा। प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। दरें गंतव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए। बिडदाता को स्थानीय प्रदायों के मामलों में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। बिडदाता को उक्त समस्त बैनर जिले में स्थित समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों में स्थित कियोस्को (ई-मित्र केन्द्रों) जाकर स्वयं के खर्च पर लगाने होंगे। अतः बिडदाता दरें प्रस्तुत करने से पूर्व जिले की भौगोलिक स्थिति एवं ग्रामों के रूट की जानकारी अपने स्तर से कर लेवे। प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा अनुमानित है। इसमें कमी या वृद्धि की जा सकती है।
14. बिड को सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निरस्त करने /स्वीकार करने के संबंध में अंतिम निर्णय करने का अधिकार क्रय समिति को होगा। निर्धारित अवधि में सामग्री आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी तथा अन्य व्यवस्था किये जाने पर होने वाली हानि की वसूली बिडदाता से की जावेगी।
15. न्यूनतम दरें स्वीकार करने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं है।
16. न्यायिक वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र करौली होगा तथा किसी बिन्दु पर आपसी असहमति होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सर्व मान्य होगा।
17. सभी बिड कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। निर्धारित समय के बाद प्राप्त बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
18. देय भुगतान में से नियमानुसार स्रोत पर आयकर (TDS) कटौती की जावेगी।
19. प्रत्येक कियोस्क पर फ्लेक्स मय फ्रेम के लगाने के पश्चात् प्रमाणीकरण हेतु सम्बन्धित कियोस्क से निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। तथा कार्य उचित तरीके से पूर्ण करने का प्रमाणीकरण इस विभाग द्वारा नियुक्त/अधिकृत विभागीय अधिकारी/कर्मचारी से भी करवाना होगा तथा प्रमाणीकरण के लिए इन्स्टॉलेशन करने के बाद प्रत्येक कियोस्क की बैनर दिखती हुई फोटो भी एक सीडी/डीवीडी या पेन ड्राइव में संकलित कर देनी होगी।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

